रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2
संख्या-119/2026/1517/22-2-2024-17(384)/2022
लखनऊ : दिनांक: 19 फरवरी, 2026

शुद्धि-पत्र

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सुनील सिंह (कैदी संख्या-45286) पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह, निवासी-राठौरपुर, थाना-मछरेहटा, जनपद-सीतापुर को कारागार से मुक्त किये जाने विषयक कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या-397/2025/1517/22-2-2024-17(384)/2022, दिनांक 30.04.2025 में "सपठित शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-2 (ख)" (शासनादेश दिनांक 28.07.2021 एवं दिनांक 27.05.2022) के स्थान पर "शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त 2018 के प्रस्तर-2(ख)" को पढ़ा जाय।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 30.04.2025 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष अंकित तथ्य यथावत रहेगें।

रवि शंकर मिश्र
विशेष सचिव।

संख्या-119/2026/1517(1)/22-2-2024-17(384)/2022 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-47875/प्रोवेशन (6)/197/पार्ट-2, दिनांक 30.12.2025 पर किये गये अनुरोध के क्रम में।
2- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर।
3- पुलिस अधीक्षक, सीतापुर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।